# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अका.) 0771–2262540 (कुलसचिव) फैक्स –0771–2262811,2262607


क्रमांक– 4677 / कु.स. / शोध / 2015 रायपुर, दिनांक 09. 09. 2014

## – सूचना –

इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक–4121 / अका. / शोध / 2015, दिनांक 16.07.2015 के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि :–

1. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 12.08.2015 में सम्मिलित हुए आवेदक परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.prsu.ac.in) पर देख सकते हैं। तथा अपने परीक्षा केन्द्र से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

2. प्रवेश परीक्षा में **योग्य घोषित हुए आवेदक** किसी भी मान्य शोध निर्देशक की सहमति प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन फार्म, शोध केन्द्र में दिनांक 25.09.2015 तक जमा कर सकते हैं। शोध केन्द्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म स्वीकार करते समय यह ध्यान रखा जावे कि Ph.D. Eligibility Certificate की वैधता 2 वर्ष तक होती है, अतः उक्त अवधि के भीतर के ही आवेदक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रस्तुत कर सकेंगे। शोध निर्देशकों की सूची तथा शोध केन्द्र की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. आवेदको द्वारा प्रस्तुत पी–एच.डी. रजिस्ट्रेशन फार्म पर विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा विचार किया जाएगा, तथा छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति का पालन करते हुए शोध निर्देशकों का निर्धारण पारस्परिक सम्मति के आधार पर किया जावेगा। विभागीय शोध समिति की बैठक की सूचना अध्यक्ष, विभागीय शोध समिति द्वारा संबंधितों को उचित माध्यम से दी जाएगी।

4. विभागीय शोध समिति की अनुशंसा उपरांत आवेदक छात्र निर्धारित शुल्क जमा कर शोध केन्द्र में नियमानुसार प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

5. समस्त शोध केन्द्रों द्वारा माह अक्टूबर, 2015 प्रथम सप्ताह (यथासंभव 01 अक्टूबर, 2015) से कोर्सवर्क का अध्यापन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. अध्यक्ष / प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र द्वारा कोर्सवर्क की गतिविधियों की जानकारी तथा शोध आवेदकों की उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में उपकुलसचिव, अकादमिक विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उपलब्ध कराया जावे।

7. अध्यादेश–45 की कंडिका–3 C ii के प्रावधानानुसार योग्य आवेदकों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पर कोर्सवर्क से छूट प्रदान की जा सकेगी तथा ऐसे आवेदक विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार शोध निर्देशक के निर्देशन में शोध रूपरेखा तैयार करेंगे। ऐसे आवेदकों की शोध रूपरेखा 01 दिसंबर से 15 दिसंबर 2015 के मध्य विश्वविद्यालय में अकादमिक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जो विभागीय शोध समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जा सकेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक– 4678 / अका. / शोध / 2015 रायपुर, दिनांक 09 सितंबर 2015

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला (शोध केन्द्र), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय एवं समस्त शोध केन्द्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।
3. प्रभारी कम्प्यूटर साईंस अध्ययन शाला को इस निवेदन के साथ कि यह सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपया व्यवस्था करें।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. रायपुर को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव (अका.)

9.9.15